



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277128
CG-DL-E-14102026-277128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5403]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5403]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5617(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषध नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. अश्विनी कुमार सिंह और डॉ. विकास गुप्ता, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश को पशु चिकित्सा उपयोग के टीकों के संबंध में संपूर्ण भारत के लिए तत्काल प्रभाव से सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है।

[फा. सं. एक्स. 11014/14/2026-डीआर]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026.

S.O. 5617(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby appoints **Dr. Ashwini Kumar Singh** and **Dr. Vikas Gupta**, Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, Baghpat, Uttar Pradesh to be the Government Analysts, with immediate effect, for whole of India in respect of vaccines for veterinary use.

[F. No. X.11014/14/2026-DR]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.